राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 3225/2015	तारीख रजू 20.01.2015	अंतिम निर्णय दिनांक 27-10.25

उनवानः

1. रामजीलाल पुत्र ओमकार यादव जाति अहीर निवासी ग्राम दूढांरिया तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. बहादुरसिंह पुत्र ओमकार यादव जाति अहीर निवासी ग्राम दूढांरिया तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। .....वादीगण

बनाम

1. लाजवंती पत्नी स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
2. सतीश पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
3. सुभाष पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
4. राजू पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
5. प्रियंका पुत्री स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
6. किरोस्ता पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया निवासीयान ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

............प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री प्राणसुख सैनी योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री उदयसिंह योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 से 6 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 171 रकबा 0.23 है0, 182 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना मे स्थित है उक्त आराजी मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 का पति/पिता बाबूलाल पुत्र श्योनारायण बावरिया 1/2 हिस्सा एवं फतेहसिंह, सरजीत पुत्र भंवरसिंह राजपूत 1/2 हिस्सा थे जिनके द्वारा विवादित आराजी का विभाजन मौके पर किया हुआ था जिसके अन्तर्गत फतेहसिंह सरजीत सिंह पुत्र भंवरसिंह खसरा नम्बर 171 रकबा 0.23 है0 पर काबिज थे एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा 06 है0 के पति/पिता बाबूलाल पुत्र श्योनारायण बावरिया खसरा नम्बर 182 रकबा 0.22 है0 पर काबिज रहकर काश्त करता था । इसी अनुसार विभाजन को प्रतिवादी के पति व पिता द्वारा स्वीकार करने पर एवं फतेहसिंह सरजीतसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा स्वीकार करने र हम वादीगण ने विवादित आराजी मे से 1/2 हिस्सा दिनांक 18.02.1992 को खरीद किया था । बाद खरीद खसरा नम्बर 171 पर हम वादीगण को कब्जा दिया गया था जिस पर हम काबिज काश्त है तथा पक्की चार दीवारी लगा कर निर्माण किया हुआ है जिस पर हम काबिज काश्त है खसरा नम्बर 182 पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है हम वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

कब्जा काश्त खसरा नम्बर 171 रकबा 0.23 है0 मे से 248 वर्गमीटर रकबा आवाप्त किया गया है। हम वादीगण ने मौके पर विभाजन के अनुसार लिख कर दिऐ जाने हेतु प्रतिवादीगण से कहा तो पहले तो अपनी सहमति दे दी परन्तु दिनांक 27.04.2011 को पुर्व से हो रहे विभाजन को मानने से इंकार कर दिया इसलिए वादीगण द्वारा यह दावा पेश कर पुर्व से किये गये विभाजन के मुताबिक खसरा नम्बर 171 रकबा 0.23 है0 पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर उसका खातेदार वादीगण को एवं खसरा नम्बर 182 रकबा 0.22 है0 पर से हम वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 को घोषित किये जावे इसी अनुसार अलग–अलग खाताबन्दी किया जाने की घोषणा फरमाई जावे एवं प्रतिवादगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा का जब तक विभाजन नही हो जावे तब तक आराजी मुतनाजा के किसी भी भाग को अपना बताकर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे..........आदि ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये तथा बाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर वादीगण के वाद पत्र के सभी तथ्यो को गलत बताते हुऐ जबाब दावा पेश किया गया कि वादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया गया है आराजी मुतनाजा संयुक्त खातेदारी की आराजी है। लेकिन वादीगण नैशनल हाईवे सं0 8 से लगता खसरा नम्बर 171 सम्पूर्ण को अपने नाम करवाना चाहते है और उक्त खसरा नम्बर मे से नैशनल हाईवे सं0 8 के विस्तार के लिए आवाप्त भूमि का मुआवजा भी स्वंय ही उठाना चाहते है और हम प्रतिवादीगण को हमारे हिस्से का मुआवजा उठाने मे अडचन डालने के लिए यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। इसलिए वादीगण के वाद पत्र को मय खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर दावा मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

वादीगण ने अपने दावा के समथन मे मौखिक साक्ष्य हेतु पी.ड.–1 बहादुरसिंह पी.ड.–2 शीशराम पुत्र रामजीलाल, पी.ड.–3 महेश कुमार पुत्र जगदीश, पी.ड.–4 राजपाल पुत्र रामजीलाल के बयान शपथ पत्र पेश किये गये। वादीगण द्वारा पेश गवाहो से जिरह के लिए वकील प्रतिवादी को बार–बार अवसर दिये जाने पर भी जिरह नही करने पर वकील प्रतिवादी की जिरह बन्दी की जाकर, उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वाद ग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज है। लेकिन वादीगण आराजी मुतनाजा का मौके पर विभाजन किया हुआ बताकर, मौके पर किये गये विभाजन के मुताबिक आराजी मुतनाजा का विभाजन करवाना चाहते है वही प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि बताकर वादीगण के वाद पत्र को खारिज करवाना चाहते है। दोनो पक्षो मे हुऐ विभाजन की पत्रावली पर कोई दस्तोवज उपलब्ध नही है। इसलिए आराजी मुतनाजा का बिना कुर्रे रिपोर्ट मंगवाये विभाजन किया जाना सम्भव नही होने के कारण एवं उभय पक्षो के हितो को ध्यान मे रखते हुऐ उक्त अनुवानी दावा को न्याय हित मे दिनांक 07.12.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर गया।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.12.2022 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 171 रकबा 0.23 है0, 182 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 10.07.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 11.07.2025 को पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

तत्पश्चात कुर्रे रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति पेश कि जाकर, पुनः टीम गठित कर निष्पक्ष रूप से कुर्रे रिपोर्ट तैयार करवाकर मंगवाई जाने की प्रार्थना की गई।

जबाब मे वादीगण ने आपत्ति के सभी तथ्यो को इंकार करते हुऐ कथन किया कि प्रतिवादीगण को पुर्व मे नोटिस से सूचित कर, पटवारी हल्का, कानूनगो एवं तहसीलदार साहब दिनांक 10.07.2025 को मौके पर प्रतिवादीगण की उपस्थिती मे कुर्रे रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से तैयार कर, न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है। लेकिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के विभाजन मे बिना वजह अडचन डालने के लिए गलत तथ्यो के आधार पर आपत्ति पेश की गई है। जिसे निरस्त फरमाया जाकर, दावा मे अंतिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की गई।

हमने तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोन करने पर, प्रतिवादीगण द्वारा पेश आपत्ति सारहीन होने के एवं पुनः कुर्रे रिपोर्ट मंगवाना उचित नही समझते हुऐ प्रतिवादीगण द्वारा पेश आपत्ति खारिज फरमाई जाकर तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट दिनांक 10.07.2025 के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश, कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 10.07.2025 के मुताविक खसरा नम्बर 171 रकबा 0.23 है0, 182 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है कि:–

टेबल सं0 1

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बहादुरसिंह पुत्र ओमकार सिंह हि0–1/2 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	171/1	0.1872
2.	राजपालसिंह यादव पुत्र रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	182/1	0.0254
3.	रणवीरसिंह यादव पुत्र रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार		
4.	सावित्री पुत्री रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	कुल किता–2	
5.	विमला पुत्री रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	कुल रकबा 0.2126 है0	
6.	शकुन्तला पुत्री रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार		

टेबल सं0 2

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	किरोस्ता पुत्री बाबूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	171/2	0.0180
2.	प्रियंका पुत्री बाबूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	182/2	0.1946
3.	राजु पुत्र बाबूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार		
4.	लाजवन्ती पत्नी बाबूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	कुल किता–2	
5.	सतीश पुत्र बाबूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	कुल रकबा 0.2126 है0	
6.	सुभाष पुत्र बाबूलाल बाबुलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार		

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताविक तितम्या काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
3225/2015	20.01.2015	27-10-25

उनवानः

1. रामजीलाल पुत्र ओमकार यादव जाति अहीर निवासी ग्राम ढूढांरिया तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. बहादुरसिंह पुत्र ओमकार यादव जाति अहीर निवासी ग्राम ढूढांरिया तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. लाजवंती पत्नी स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
2. सतीश पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
3. सुभाष पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
4. राजू पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
5. प्रियंका पुत्री स्व. बाबूलाल जाति बावरिया
6. किरोस्ता पुत्र स्व. बाबूलाल जाति बावरिया निवासीयान ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

............प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री प्राणसुख सैनी योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री उदयसिंह योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 से 6 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश, कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 10.07.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 171 रकबा 0.23 है0, 182 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

टेबल सं0 1

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बहादुरसिंह पुत्र ओमकार सिंह हि0–1/2 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	171/1	0.1872
2.	राजपालसिंह यादव पुत्र रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	182/1	0.0254
3.	रणवीरसिंह यादव पुत्र रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार		
4.	सावित्री पुत्री रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	कुल किता–2	
5.	विमला पुत्री रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार	कुल रकबा 0.2126 है0	
6.	शकुन्तला पुत्री रामजीलाल हि0–1/10 जाति अहीर निवासी ढूढांरिया खातेदार		

टेबल सं0 2

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	किरोरता पुत्री बावूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	171/2	0.0180
2.	प्रियंका पुत्री बावूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	182/2	0.1946
3.	राजु पुत्र बावूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार		
4.	लाजवन्ती पत्नी बावूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	कुल किता–2	
5.	सतीश पुत्र बावूलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार	कुल रकबा 0.2126 है0	
6.	सुभाष पुत्र बावूलाल बाबुलाल हि0 1/6 जाति बावरिया सा0 देह खातेदार		

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27·10·25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)